17/6/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप.। पत्रावली में बहस अन्तर्गत 07 R11 पूर्व में समाहित की जा चुकी है। स्टेट द्वारा प्रार्थना पत्र 07 R11 के तहत कथन किए गए हैं कि वादी द्वारा वादपत्र ~~को~~ वांछित अनुतोष चक 14 KSD खारजी से संबंधित है जो न्यायालय हजा के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण वाद विधि द्वारा वर्जित है एवं काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने जवाब बहस में कथन किए कि वादीगण की भूमि 7 पीटीपी, चक 11 केएसडी, चक 6 आईजीजी, चक 14 KSD व चक 15 KSD में दर्ज है। उक्त चकों की भूमि तहसील संगरिया व तहसील सादुलशहर के क्षेत्राधिकार में आती है इसलिए वादीगण को यह विधिक अधिकार है कि वह दोनों में से किसी भी राजस्व न्यायालय में दावा दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र 07 R11 खारिज फरमावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश 7 नियम 11 CPC के प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु यहाँ न्यायालय के समक्ष निम्नांकित बिंदु पर विचारण किया जाता है—

1. क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से 'विधि द्वारा वर्जित' है अथवा नहीं।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति हेतु वाद दायर करने संबंधी प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है। धारा 17 के प्रावधानान्तर्गत जब वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित संपत्ति के संबंध में अनुतोष अभिप्राप्ति हेतु हो, वहां वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

में वह स्थावर सम्पत्ति स्थित हो। CPC की धारा 15 एवं 17 के प्रावधानों के आलोक में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी द्वारा वादपत्र की पैरा संख्या - 14 (क) (ख) (ग) (घ) में अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा वांछित अनुतोष 14 KSD की आराजी से चाहा गया है। वादी द्वारा वादपत्र में समस्त भूमि का वर्णन किया है परंतु वादी द्वारा अनुतोष केवल 14 KSD की आराजी में ही चाहा गया है। चक 14 KSD की आराजी तहसील सादुलशहर में स्थित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की है। ~~सबंध~~ CPC धारा 17 में यह स्पष्टतया उल्लेखित है कि यदि '**अनुतोषित आराजी**' दो या अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित हो तो वाद दोनों न्यायालयों में से कहीं भी संस्थित किया जा सकेगा। परंतु प्रकरण हाजा में अनुतोषित आराजी केवल एक ही तहसील सादुलशहर में अवस्थित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न आने से वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार कर वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया